International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 6, June- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

एक राष्ट्र-एक चुनाव: संभावनाएँ और चुनौतियाँ

संदीप, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग,
महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार।
Email Id - sdeswal52@gmail.com

सारांश

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। एक लोकतांत्रिक देश वह है जिसमें नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने और देश में किसी भी स्थिति के बारे में सार्वजनिक रूप से अपनी राय देने का अधिकार है। एक लोकतांत्रिक सरकार में नागरिकों को अपनी सरकार का चुनाव करने का अधिकार दिया जाता है। वे गुप्त मतदान के माध्यम से वोट डाल सकते हैं और अपनी राय बता सकते हैं। जिस उम्मीदवार/पार्टी को बहुमत मिलता है। वह सत्ता में आ जाता है। इसलिए एक लोकतांत्रिक देश के नागरिकों की सामूहिक राय यह निर्धारित करती है कि देश पर शासन कौन करेगा। केन्द्र में नरेन्द्र मोदी सरकार की वापसी के बाद एक बार फिर भारत एक राष्ट्र-एक चुनाव बहस छिड़ गई है। जहां समर्थक इसके फायदे गिना रहे हैं। वहीं विरोधियों का मानना है कि इससे नुकसान ही होगा। वर्ष 2003 में भी लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया था। भारत मे एक देश-एक चुनाव के पक्ष मे कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से सरकारी राजस्व और समय की बचत होगी। बार-बार चुनाव होने से राजनीतिक रैलियों से सार्वजनिक जन-जीवन प्रभावित होता है। बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन की बर्बादी होती है। साल भर देश के किसी न किसी हिस्से मे चुनाव होने से वहां चुनाव आचार संहिताएं लागू रहती हैं। इसका असर सरकारी योजनाओं को जमीनी तौर पर लागू करने और सुशासन पर पड़ता है। भारत मे एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्र हित को प्रधानता मिलेगी और इससे क्षेत्रीय अलगाववाद कम होगा। पूरे देश मे एक साथ चुनाव कराने के लिए भारत के संविधान मे संशोधन करना होगा तथा इसके लिए सभी दलों का सहयोग पाना जरूरी हैं।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 6, June- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

परिचय

भारत में हाल की सभी सरकारी कार्रवाइयां एक राष्ट्र-एक चुनाव सिद्धांत पर आधारित प्रतीत होती हैं। जीएसटी "एक राष्ट्र-एक कर" के सिद्धांत पर आधारित है। "एक राष्ट्र-एक पाठ्यक्रम" का निर्माण नई शिक्षा नीति का हिस्सा है। "एक राष्ट्र-एक चुनाव" का विचार लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर कराने की वकालत करता है। भारत में एक साथ चुनाव कराने का विचार नया नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्त करने और संविधान को लागू करने के बाद, पहला चुनाव, जो 1951-1952 में हुआ, एक साथ आयोजित किया गया। 1951-1952 से लेकर 1967-1968 तक एक साथ चुनाव हुए, बाद में इसमें व्यवधान आ गया। यह अवधारणा तब समाप्त हुई जब चौथी लोकसभा को मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ा।

अब तक कई चुनावी निकाय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव कराते हैं, जिसके तहत भारत के चुनाव आयोग को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन लोकसभा, और विधानसभाओं के चुनावों की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण करने का आदेश दिया गया है। अनुच्छेद 73 और 74 राज्य चुनाव आयोग को सुविधा प्रदान करते हैं, ये निकाय हर 5 साल में राज्य स्तर पर चुनाव कराते हैं। भारत में एक राष्ट्र-एक चुनाव का विचार एक प्रस्तावित चुनावी सुधार है जिसकी वकालत प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। भारतीय लोकतंत्र की अपनी संघीय संरचना है जहां केंद्र और राज्य सरकारें अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का आनंद लेती हैं। संसद और राज्य विधानसभाएं निरंकुशता और लोकतंत्र, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच संतुलन बनाती हैं।[1]

एक राष्ट्र-एक चुनाव क्या है –

"**एक राष्ट्र-एक चुनाव**" की परिभाषा भारतीय चुनाव चक्र के भीतर लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों का सिंक्रनाइज़ेशन है। ऐसे मामले में, एक मतदाता आम तौर पर एक ही दिन और एक ही समय पर लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए अपना मत डालेगा। स्पष्ट रूप से कहें तो, एक साथ चुनाव के लिए यह जरूरी नहीं है कि देश भर में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक ही दिन हो। जैसा कि प्रथागत है, यह चरणों में किया

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 6, June- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

जा सकता है जब तक कि किसी विशिष्ट सीट के मतदाता एक ही दिन राज्य विधानसभा और लोकसभा के लिए अपना मत डालते हैं।[2]

एक राष्ट्र-एक चुनाव का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य-

यह जानना दिलचस्प है कि देश में पहले भी एक साथ चुनाव होते रहे हैं। भारत को 1947 मे स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत मे पहले चुनाव वर्ष 1951-52 मे निर्वाचन आयोग के द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न करा लिए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सन् 1951-1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए है। लेकिन 1968 में राजनीतिक कारणों से कई विधानसभाओं को समय से पहले ही भंग कर दिया गया। देश की लोकसभा सरकार को भी वर्ष 1971, 1977, 1989, 1996 और 1998 की गठित लोकसभा को मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ा। इस कारण से भारत में एक राष्ट्र-एक चुनाव की परंपरा समाप्त हो गई।

परिणामस्वरूप पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा ने पूरे पांच साल के कार्यकाल को पूरा किया। अनुच्छेद 352 के अनुसार, पांचवीं लोकसभा का कार्यकाल 1977 तक बढ़ा दिया गया था। उसके बाद, आठवीं, दसवीं, चौदहवीं और पंद्रहवीं लोकसभा अपना पूरा पांच साल का कार्यकाल पूरा कर सकी। छठी, सातवीं, नौवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोकसभा समय से पहले भंग कर दी गई। पूरे समय में, कई राज्य विधानसभाओं को इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन सभी जल्दबाजी वाले विघटनों और विस्तारों ने एक राष्ट्र-एक चुनाव की परंपरा के चक्र को गंभीर रूप से परेशान कर दिया है।[3]

एक राष्ट्र-एक चुनाव के मामले में संविधान संशोधन आवश्यक

केंद्र और राज्यों में एक साथ मतदान कराने के लिए कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बीच सहमति बनाना जरूरी होगा. इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के 40 नेताओं को आमंत्रित किया.

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 6, June- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

लेकिन उनकी सभा में सिर्फ 21 लोग ही पहुंचे. एक साथ चुनाव कराना संभव है या नहीं इसकी जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी। पांच संवैधानिक अनुच्छेदों में संशोधन किया जाएगा, और संसद और विधानसभा दोनों के लिए कार्यकाल की स्थिरता के उपायों को शामिल करने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम को भी बदला जाएगा।

- अनुच्छेद 83 में बदलाव, इसमें कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तिथि से पाँच वर्ष का होगा।
- अनुच्छेद 85 में संशोधन, यह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 172 का संशोधन, इसमें कहा गया है कि विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तिथि से पाँच वर्ष का होगा।
- अनुच्छेद 174 का संशोधन, यह राज्य के राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 356: यह केंद्र सरकार को राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मद्देनज़र राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है।

एक साथ चुनावों के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत के चुनाव आयोग के अधिकार और जिम्मेदारियों में सुधार की भी आवश्यकता होगी। उपर्युक्त सुधारों को संसद के दोनों सदनों के दो-तिहाई बहुमत के अलावा देश की कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित करने की भी आवश्यकता होगी।[4]

एक राष्ट्र-एक चुनाव कराने के पक्ष में सरकारी निकायों की सिफ़ारिशें –
सरकार की कई संस्थाओं ने एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में सिफारिश की है. उनमें से कुछ प्रमुख लोगों ने इस प्रकार अपनी राय दी है। "एक राष्ट्र-एक चुनाव" के विचार के तहत राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे। इसके सबसे प्रसिद्ध समर्थकों में से एक भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। पिछले राष्ट्रपति

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 6, June- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

श्री राम नाथ कोविन्द और पिछले राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी दोनों ने इस विचार का समर्थन किया है।

1. 26 मार्च, 2014 - भाजपा ने अपना घोषणापत्र जारी किया जिसमें पहली बार "एक राष्ट्र-एक चुनाव" का वादा किया गया।
2. 21 जनवरी, 2015 - 'लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता' विषय की पहचान कार्मिक, लोक शिकायत, कानून पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 79 वीं रिपोर्ट द्वारा की गई है।
3. 28 जनवरी, 2015 - प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रधान निजी सचिव ने तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एच.एस. ब्रह्मा को फोन किया। ब्रह्मा ने "एक राष्ट्र-एक चुनाव" कराने की आवश्यकता पर जोर दिया।
4. 17 दिसंबर, 2015 - संसदीय समिति ने एक साथ चुनाव पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।
5. 3 फरवरी, 2016 - केंद्रीय कानून मंत्रालय ने समिति की रिपोर्ट ई सी आई को भेजकर उसकी टिप्पणियां मांगीं।
6. 5 मार्च, 2016 – ई सी आई ने कानून मंत्रालय को अपने जवाब में 5 मार्च, 2015 के अपने पत्र की एक प्रति संलग्न की जो उसने संसदीय समिति को भेजी थी।
7. 19 मार्च, 2016 - भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बंद कमरे में हुई बैठक में, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के विचार की सराहना की।
8. 25 जनवरी, 2017 - पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में एक साथ चुनाव की सिफारिश की और ई सी आई से इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए कहा।
9. 23 अप्रैल, 2017 - मसौदा रिपोर्ट को नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों (जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य शामिल हैं) "एक राष्ट्र-एक चुनाव" की सिफारिश की थी।
10. 28 जनवरी, 2018 - संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन में, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने नागरिकों के मुद्दे के रूप में एक साथ चुनावों पर जोर दिया और लगातार चुनावों को शासन में बाधा के रूप में चिह्नित किया।[5]

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 6, June- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

1 **भारत के चुनाव आयोग की पहली वार्षिक रिपोर्ट, 1983 –**

भारत के चुनाव आयोग ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारणों से 1983 में अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट में लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए समवर्ती चुनाव कराने का सुझाव दिया:

1 अलग-अलग आम चुनाव (लोकसभा और राज्य विधान सभा) आयोजित करने के परिणामस्वरूप होने वाली अत्यधिक अनावश्यक प्रशासनिक लागत और अन्य खर्चों पर महत्वपूर्ण वित्तीय बचत।

2 राष्ट्रीय स्तर पर दो बार ऐसा करने के विपरीत, एक ही समय में लोक सभा और राज्य विधान सभा के लिए मतदाता सूची को संशोधित करके महत्वपूर्ण लागत बचत हासिल की जा सकती है।

3 हर बार, दो से तीन महीनों के लिए, हजारों पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में नागरिक अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव के संचालन के लिए तैनात किया जाता है, जो उनके नियमित कार्यों में काफी हस्तक्षेप करता है।

4 चुनाव के दौरान देश का पूरा प्रशासनिक ढांचा काफी धीमा हो जाता है, चाहे वह लोकसभा का हो या विधानसभाओं का, और विकासात्मक कार्यों सहित सरकार के अन्य सभी नियमित कार्य और गतिविधियां पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। इनके परिणामस्वरूप औसत व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है। प्रत्येक आम चुनाव (लोकसभा और राज्य विधानसभाओं) के दौरान यह परिदृश्य लगभग दो महीने तक रहता है।[6]

2 **भारतीय विधि आयोग की चुनावी कानूनों के सुधार पर 170 वी रिपोर्ट (1999) –**

माननीय के नेतृत्व में 1999 में प्रकाशित भारतीय विधि आयोग की चुनावी कानूनों के सुधार पर एक 170 वी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव की सिफारिश की गई थी। न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी. देश में चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के तरीकों पर विचार करते हुए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं सभी चुनाव एक साथ संपन्न कराने की सिफारिशें की थी।

3 **कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की 79 वी रिपोर्ट –**

17 दिसंबर, 2015 को कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर स्थायी समिति (डॉ. ई.एम. सुदर्शन नचियप्पन

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 6, June- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

की अध्यक्षता में) बनी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए समवर्ती चुनाव कराने की व्यवहार्यता पर अपनी रिपोर्ट में। समिति ने देश में एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया और दावा किया कि इससे लागत में कटौती होगी, आदर्श आचार संहिता को अपनाने से उत्पन्न नीतिगत गतिरोध को रोकने में मदद मिलेगी, महत्वपूर्ण सेवाओं के प्रावधान में वृद्धि होगी, आदि।

4 **भारत का चुनाव आयोग** –

भारत के चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को सूचित किया कि वह संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के छह महीने बाद लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का समर्थन करता है।

5 **एक राष्ट्र-एक चुनाव चुनावों पर नीति आयोग का चर्चा पत्र** –

"एक साथ चुनावों का विश्लेषण" नामक एक चर्चा पत्र में, नीति आयोग ने तर्क दिया है कि एक साथ चुनाव प्रणाली भारतीय राजनीति के लिए अच्छी है क्योंकि इससे शासन में सुधार होगा और चुनाव सुधार शुरू होंगे। इसे बिबेक देबरॉय और किशोर देसाई ने भी लिखा था।[7]

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 6, June- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

भारत में एक राष्ट्र-एक चुनाव कैसे लागू करें?

नीचे दी गई तालिका संक्षेप में नीति आयोग मॉडल को दर्शाती है कि भारत में एक राष्ट्र-एक चुनाव कैसे लागू किए जा सकते हैं।

प्रासंगिक मुद्दे	प्रस्तावित समाधान
एक राष्ट्र-एक चुनाव लागू करने की संभावित तारीख	18वीं लोकसभा चुनाव (2024) से शुरू हो सकता है
क्रियान्वयन राज्य विधानसभाओं की शर्तों को कैसे समकालिक किया जाए	इसके लिए सबसे व्यवहार्य समाधान के रूप में दो चरण के चुनावों का प्रस्ताव रखा गया। चरण I (लोकसभा + 14 राज्य) मई-जून 2024 में, चरण II (शेष राज्य): 2.5 साल बाद अक्टूबर-नवंबर 2026 में विभिन्न राज्यों की शर्तों में एक बार विस्तार या कटौती की आवश्यकता होगी कुछ सुझाए गए नियमों/ढांचे पर आधारित असेंबली इसके लिए कुछ संवैधानिक और वैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी
क्या विधानसभा/लोकसभा का कार्यकाल तय होना चाहिए और कैसे? एक राष्ट्र-एक चुनाव में निरंतरता सुनिश्चित करें,	निश्चित अवधि प्रस्तावित नहीं है। - इसके बजाय, इस मामले में चुनाव आयोग की प्रासंगिक सिफारिशों पर विचार किया जा सकता है (नीति आयोग नोट में विवरण) इसके लिए कुछ संवैधानिक और वैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी

8 Source of- NITI Aayog

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 6, June- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

एक राष्ट्र-एक चुनाव का अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य -

1दक्षिण अफ्रीका –

दक्षिण अफ्रीका में हर पाँच साल में नेशनल असेंबली, प्रांतीय विधानमंडलों और नगर परिषदों के लिए चुनाव होते हैं। राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों की चुनावी प्रणाली "पार्टी-सूची आनुपातिक प्रतिनिधित्व" के तहत प्राप्त वोटों के अनुपात के अनुसार पार्टियों का प्रतिनिधित्व करती है। किसी पार्टी को मिलने वाले वोटों की कुल संख्या यह निर्धारित करती है कि उसे कितनी सीटें मिलेंगी। जैसे ही परिणाम सार्वजनिक होते हैं, पार्टियाँ प्रत्येक विधायी सीट के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार करती हैं, जिस पर वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। स्वतंत्र चुनाव आयोग (आईईसी) यह तय करता है कि प्रत्येक पार्टी की सूची से कितने प्रतिनिधि संसद में काम करेंगे। नगरपालिका परिषद चुनावों के लिए एक "मिश्रित-सदस्य प्रणाली" है, जो इसी तरह हर पांच साल में आयोजित की जाती है लेकिन राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनावों से अलग होती है। इस प्रणाली के तहत, वार्ड व्यक्तिगत परिषद सदस्यों और पार्टी सूचियों से नामांकित लोगों दोनों का चुनाव करते हैं। नौ प्रांतीय विधायिकाओं में से प्रत्येक में प्रांत की जनसंख्या के आधार पर तीस से नब्बे प्रतिनिधि होते हैं, जबकि नेशनल असेंबली में चार सौ सीटें होती हैं। अलग-अलग मत पत्रों पर, मतदाता राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए अपना वोट डालते हैं। पार्टी संपर्क समिति में, प्रत्येक पंजीकृत राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व एक समिति द्वारा किया जाता है जो स्वतंत्र चुनाव आयोग को सलाह देती है और उससे जानकारी प्राप्त करती है।

2 स्वीडन-

स्वीडन में आनुपातिक चुनावी प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि निर्वाचित विधानसभा में किसी भी पार्टी को मिलने वाले प्रतिनिधियों की संख्या इस बात पर आधारित होती है कि उन्हें कितने वोट मिले हैं। स्वीडन में, काउंटी परिषद और नगर परिषद चुनाव आम चुनावों के साथ-साथ होते हैं (रिक्सडैग) 22 चुनाव हर चार साल में होते हैं)। जबकि नगर निगम विधानसभा चुनाव हर पांच साल में एक बार सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 6, June- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

3 बेल्जियम-

बेल्जियम में मुख्यतः पाँच प्रकार के चुनाव होते हैं। यूरोपीय संसद के लिए प्रतिनिधि यूरोपीय चुनावों में चुने जाते हैं; संघीय संसद के प्रतिनिधि मंडल के लिए संघीय चुनाव; क्षेत्रीय चुनाव: संघीय क्षेत्रों की विधायिकाओं के लिए, जैसे वाल्लून और फ्लेमिश संसद, प्रांतीय चुनाव: प्रांतीय परिषद के लिए; जर्मन भाषी समुदाय और ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र में संसदीय चुनाव; नगर परिषद के लिए नगर निगम चुनाव होते हैं. संघीय संसद के चुनाव अक्सर हर पांच साल में यूरोपीय (और बाद में क्षेत्रीय) चुनावों के साथ मेल खाते हैं।

4 इंडोनेशिया-

अपने फैसले संख्या 14/पीयूयू-XI/2013 में, इंडोनेशिया के संवैधानिक न्यायालय ने घोषणा की कि अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 1 और 2, और राष्ट्रपति चुनाव कानून के अनुच्छेद 112 कानून संख्या 42 वर्ष 2008 का मूल्यांकन करते समय असंवैधानिक हैं। राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में. 25 इस आधार पर कि 2008 का कानून संख्या 42 संविधान का उल्लंघन था, संवैधानिक न्यायालय ने फैसला किया कि इंडोनेशिया 2019 में शुरू होने वाले राष्ट्रपति और विधायी चुनाव एक साथ आयोजित करेगा।[9]

5 यूनाइटेड किंगडम -

यूके में, कई अलग-अलग प्रकार के चुनाव होते हैं, जिनमें हाउस ऑफ कॉमन्स, यूरोपीय संसद (अभी नहीं), स्थानीय चुनाव, मेयर चुनाव आदि शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक श्रेणी के भीतर, उप-चुनाव और दोनों हो सकते हैं। 2011 में फिक्स्ड टर्म एक्ट पारित करके, जो आम चुनावों के लिए 5 साल का कार्यकाल निर्धारित करता है, वेस्टमिंस्टर की संसद ने हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए एक निश्चित कार्यकाल की स्थापना की। अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया कि पहला आम चुनाव 7 मई 2015 को होगा, और उसके बाद आम चुनाव हर पांचवें वर्ष मई के पहले गुरुवार को होंगे। 2011 के अधिनियम के अनुसार, शीघ्र चुनाव तभी आयोजित किए जा सकते हैं जब किसी प्रस्ताव को पूरे सदन के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से या बिना किसी मत सुरक्षाबलो विभाजन के मंजूरी मिल जाए; यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है; और यदि प्रस्ताव पारित होने के 14 दिनों के भीतर कॉमन्स द्वारा किसी वैकल्पिक सरकार की पुष्टि नहीं की जाती है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 6, June- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

6 जर्मनी -

1949 का जर्मन संविधान बुनियादी संरचनात्मक विचार को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। जर्मनी में मौजूद प्रणाली के अनुसार, चांसलर को बुंडेस्टाग या निचले सदन में अविश्वास मत से आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। "रचनात्मक अविश्वास मत" चांसलर को हटाए जाने से रोकता है क्योंकि ऐसा करने के लिए विरोधियों को भी किसी प्रतिस्थापन पर सहमत होना होगा। इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वास्तव में दुनिया भर में किसी न किसी रूप में एक साथ चुनाव होते हैं। फिलीपींस, ब्राज़ील, बोलीविया, कोलंबिया, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, गुयाना, होंडुरास, निकारागुआ और कई अन्य स्थानों पर एक साथ चुनाव का उपयोग किया जाता है। हालाँकि राष्ट्रपति प्रणाली वाली सरकार का उपयोग करने वाले इन देशों में राष्ट्रपति और विधायिका के लिए एक साथ चुनाव होते हैं। अब हमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बेहतर समझ है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि अन्य राष्ट्र भारत से अलग हैं और केवल अन्यत्र मौजूद हैं, इसलिए यहां इस प्रकार की नीति को स्वीकार करने से पहले हमें अपने संविधान और प्रशासनिक ढांचे को समायोजित करना होगा।[10]

एक राष्ट्र-एक चुनाव की संभावनाएँ –

सरकारी व्यय कम करना -

चुनाव की तैयारी और प्रशासन पर नियमित रूप से सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। अधिकांश धन का उपयोग व्यवस्था, वेतन और सुरक्षा पर किया जाता है। एक साथ मतदान से सरकार को भारी बचत होगी जिसका बेहतर उपयोग किया जा सकेगा।

विकास कार्य के लिए अधिक समय -

चुनाव के अनियमित समय को लेकर राजनीतिक दल और मंत्री लगातार चुनावी मोड में हैं. परिणामस्वरूप, पार्टियाँ परिवर्तन में देरी करती हैं या अल्पकालिक विचारों के आधार पर निर्णय लेती हैं, एजेंडा को बाधित और विकृत करती हैं और जनता को स्पष्ट नीतियों से वंचित करती हैं। एक साथ सभी चुनाव कराने से, मंत्री कार्यक्रम बनाने और अपने मतदाताओं की मदद करने के लिए ठोस चार साल समर्पित करने में सक्षम होंगे।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 6, June- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

सुरक्षा बलों की बेहतर तैनाती -

सुरक्षा कर्मियों का उपयोग दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन है जो धन के अलावा बड़ी मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। एक ही समय में लोकसभा और राज्य विधानमंडल चुनाव कराने से, यह उन सुरक्षा कर्मियों को मुक्त कर देगा, जिन्हें प्रत्येक चुनाव के लिए उनकी प्राथमिक जिम्मेदारियों से हटा दिया जाता है।[11]

पैसे बचाने की टिप्स -

एक साथ चुनाव कराने का मुख्य तर्क यह है कि सरकार पैसा बचाएगी। यदि राष्ट्र "एक राष्ट्र-एक चुनाव" मॉडल को अपनाता है तो बड़ी मात्रा में धन की बचत होगी। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 4120 विधायक हैं। बड़ी सभाओं के लिए व्यय सीमा रु. 40 लाख. रुपये है।. यदि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही चुनाव हो तो 11 अरब के आस पास पैसे की बचत होगी।

तीव्र विकास कार्य -

यह देखा गया है कि चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने पर नई परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं किया जाता है। इसलिए, एक चुनाव संघीय और राज्य सरकारों की नीतियों और पहलों में स्थिरता की गारंटी देगा।

काले धन के प्रवाह पर रोक लगेगी। -

चुनावों में "काले धन" का उपयोग एक खुला रहस्य है। देश के चुनावों के दौरान बड़ी मात्रा में काले धन को सफेद धन में बदल दिया जाता है। । परिणामस्वरूप, यदि पूरे वर्ष चुनाव होते हैं, तो देश में एक समानांतर अर्थव्यवस्था उभर सकती है। अगर भारत में लोकसभा, विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते हैं तो काले धन के प्रवाह पर रोक लगेगी।

शासन प्रभावशीलता –

यदि हर साल चुनाव नहीं होते हैं, तो सरकार को लुभावने कार्यक्रमों और जाति- और धर्म-आधारित नीतियों के साथ जनता को लुभाने की आवश्यकता नहीं होगी। यहां तक कि राज्य और संघीय सरकारें भी सालाना आकर्षक बजट तैयार किए बिना अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए कठिन निर्णय ले सकती हैं।

समय बचेगा –

भारत में चुनाव पूरे वर्ष भर होते रहते हैं, जो एक बड़ा, कठिन और समय लेने वाला कार्य है। सुचारू, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, भारत के चुनाव आयोग को बड़ी संख्या में मतदान अधिकारियों के साथ-साथ

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 6, June- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

सैन्य बलों के समर्थन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, एक ही चुनाव से एक टन समय और धन की बचत होगी। सुरक्षा बलों का आंतरिक उद्देश्यों के लिए भी बेहतर उपयोग किया जाएगा।

सरकारी खजाने के लिए फायदेमंद –

एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में एक मुख्य तर्क यह है कि इससे सरकार के खजाने पर बोझ कम होगा। यदि भारत इस मार्ग को चुनता है, तो इससे लागत में काफी कमी आएगी। बड़ी विधानसभाओं के लिए बजट सीमा 28 से बढ़कर 40 लाख हो जाती है. इसलिए, यदि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही चुनाव एक साथ कराया जाए, तो कुल लागत 11 अरब डॉलर के करीब होगी। फिलहाल, लगभग 5 राज्यों में ही वार्षिक चुनाव होते हैं। उपरोक्त कारक "एक राष्ट्र-एक चुनाव" रणनीति की बुद्धिमत्ता में योगदान देता है। एक साथ चुनावों से संसाधनों के संरक्षण में मदद मिलेगी क्योंकि इससे बार-बार चुनावों के लिए आवश्यक समय और धन की मात्रा कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, यह अनुमान है कि अधिक लोग मतदान करने के लिए अपने घरों से निकलेंगे।[12]

भारत में एक राष्ट्र-एक चुनाव की चुनौतियाँ –

क्षेत्रीय दलों के लिए कठिन समय -

क्षेत्रीय दल चुनाव पर खर्च और चुनावी रणनीति के मामले में राष्ट्रीय दलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, जो कि उपरोक्त बिंदु से संबंधित है। राज्य विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे और स्थानीय मतदाता बेहद अहम होते हैं. इसलिए क्षेत्रीय दल एक बार के चुनाव का समर्थन नहीं करेंगे. इससे राजनीतिक समझौते का मुद्दा एक बार फिर उठता है.

चुनाव नतीजों में देरी –

लगभग सभी क्षेत्रीय दल इस समय मत पत्रों से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। जब चुनाव एक बार में होते हैं, तो सब कुछ एक ही बार में होता है, जिससे परिणाम घोषित होने में काफी समय लग जाता है। देशभर में हर साल चुनाव होते रहते हैं। हैं। एक समेकित उत्पाद तैयार करने में काफी समय लगेगा।

विशाल मशीनरी एवं संसाधनों की आवश्यकता –

सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और लोकसभा में एक साथ चुनाव कराना एक कठिन चुनौती होगी क्योंकि, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र है।[13]

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 6, June- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दे संयुक्त हो जाएंगे। –

दोनों चुनावों को ध्यान में रखते हुए राज्य और संघीय समस्याओं के मिश्रण की भी आवश्यकता होगी। राज्य पर राष्ट्रीय चिंताओं का साया रहेगा, जिसके कारण कानून निर्माता इस पर कम ध्यान देंगे। एक भारत, एक चुनाव एक सकारात्मक विकास होगा यदि इसे नीतियों और विनियमों के सही अनुप्रयोग के साथ लागू किया जा सके और सक्षम प्रशासनिक और सुरक्षा कर्मियों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। यदि आवश्यक सुविधाएं नहीं होंगी तो यह अनिवार्य रूप से समाधान की तुलना में अधिक समस्याएं पैदा करेगा। कई लोग इस विचार के पक्ष में हैं और इसका समर्थन करते हैं. ऐसा कोई कारण नहीं है कि यदि यह आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करता है तो यह देश की चुनावी प्रक्रियाओं के लिए फायदेमंद नहीं होगा।

कठिन कार्य –

विधानसभा और पंचायतों के साथ-साथ लोकसभा के चुनाव कराना इतना आसान नहीं है। जैसे-जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र मतदान के लिए तैयार होंगे, यह कई कठिनाइयों के साथ आएगा। इसके अतिरिक्त, प्रक्रिया को संभालने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और प्रशासनिक कर्मी भी नहीं हो सकते हैं। मतदान केंद्रों पर कम ध्यान देने से अधिक संघर्ष और निरंकुश भ्रष्टाचार हो सकता है। लोग समय की बचत के बदले बूथ पर कब्जा नहीं चाहेंगे[14]

संवैधानिक संशोधन –

इन संशोधनों को पारित होने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में असाधारण बहुमत की आवश्यकता है। सरकार को कई राजनीतिक संगठनों के बीच सर्वसम्मति हासिल करने में कठिनाई होगी, जिनमें से प्रत्येक के अपने पूर्वाग्रह हैं। नियमों को बदलने से पहले एक कठोर प्रक्रिया से गुजरना होगा क्योंकि वे संविधान की नींव बनाते हैं और उनका अनुप्रयोग विभिन्न चुनौतियाँ पेश कर सकता है।

संभव नहीं –

पंचायतों, विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव उतने सरल नहीं हैं जितने दिखते हैं। जैसे-जैसे शहर और गाँव मतदान के लिए तैयार होंगे, कई जटिलताएँ होंगी। सुरक्षा, रसद, उपकरण और प्रशासनिक कर्मियों की कमी हो सकती है। मतदान स्थलों पर सतर्कता की कमी से अधिक कठिनाई हो सकती है और बूथ पर कब्जा और धांधली जैसे बेलगाम भ्रष्टाचार हो सकता है।[15]

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 6, June- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

सुझाव और आगे का रास्ता -

भारत में एक राष्ट्र-एक चुनाव की अवधारणा में कोई बड़ी खामी नहीं है। हालांकि राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में इसे भारत में लागू करना संभव नहीं होगा। देश को इस चुनावी दलदल से निकालने के लिए एक व्यापक चुनाव सुधार अधिनियम पारित करना होगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में सुधार, काले धन के खिलाफ लड़ाई, राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण, राजनीति के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना आदि सभी एक समावेशी लोकतंत्र की स्थापना का हिस्सा हैं। यदि एक देश में एक ही टैक्स है, जैसे कि जीएसटी, तो एक देश-एक चुनाव क्यों नहीं हो सकता? अब समय आ गया है कि सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर खुले मंच पर बहस करें ताकि इसे जल्द ही भारत में लागू किया जा सके। भारत में लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका और पंचायत चुनाव सभी चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई एक ही मतदाता सूची का उपयोग करके कराए जाने चाहिए। अलग-अलग सूचियाँ समय और संसाधनों की बर्बादी हैं। हर कुछ महीनों में विभिन्न स्थानों पर चुनाव होते रहते हैं। विकास परियोजनाओं पर इसके असर से हर कोई वाकिफ है. EC चेयरमैन सुनील अरोड़ा के मुताबिक, हम एक राष्ट्र-एक चुनाव के लिए तैयार हैं। विधायिका के व्यापक संशोधनों के बाद भारत का चुनाव आयोग एक राष्ट्र-एक चुनाव के लिए तैयार है। सुनील अरोड़ा का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का चुनाव आयोग देश में चुनाव कराने का प्रभारी है।[16]

एक राष्ट्र-एक चुनाव का महत्त्व

अगर हमारा देश एक राष्ट्र-एक चुनाव की व्यवस्था को अपनाता है। तो लोग चुनाव के समय सरकार की नीति और कार्यक्रमों को राज्य और केंद्रीय दोनों ही स्तरों पर पहचान कर सकेंगे। इसके अलावा मतदाताओं के लिए तय करने मे आसानी होगी। कि किस राजनीतिक दल या पार्टी ने चुनाव के समय क्या वादे किए थे वह उन पर कितना खरा उतरी है। सत्ता चला रहे राजनेताओं के लिए यह देखना भी जरूरी है कि बार- बार चुनाव होते रहने से प्रशासन और शासन मे जो कठिनाई या व्यवधान आ जाते हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए। 5 साल मे एक बार चुनाव कराने से सभी राजनीतिक दलों, निर्वाचन आयोग, अर्धसैनिक बलो, नागरिकों, को इसकी तैयारी के लिए अधिक समय मिल सकेगा और नए-नए चुनाव सुधार किए जा सकते हैं।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 6, June- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

निष्कर्ष –

देखना यह होगा कि देश के सभी चुनाव एक साथ कराने पर बहस कितनी आगे बढ़ती है। हर कोई इस बात से सहमत है कि यह एक अच्छा विचार है जिससे पैसे और समय की बचत होगी। काम करने के लिए अधिक समय एक चिंता का विषय है, साथ ही यह संभावना भी है कि यह संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन करेगा। हालाँकि, इन अंतरों को कम करने के लिए संवैधानिक संशोधन और राजनीतिक सर्वसम्मति का उपयोग किया जा सकता है। एक राष्ट्र-एक चुनाव से भारत के सामूहिक विकास को गति मिलेगी। सरकार के पास नीतियों और विकास कार्यक्रमों पर ध्यान देने के लिए अधिक समय होगा और प्रशासनिक व्यवस्था पर बोझ कम होगा। यदि हमारा देश एक राष्ट्र-एक चुनाव प्रणाली को अपनाता है, तो नागरिकों को न केवल आवश्यक सेवाओं के निरंतर उपयोग से लाभ होगा, बल्कि इससे सरकार को नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने और लागू करने के लिए चुनावी दौड़ से बाहर निकलने में भी मदद मिलेगी। इसकी तय की गई परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी। परिणामस्वरूप, लोग राज्य और संघीय दोनों स्तरों पर चुनावों के दौरान सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की पहचान करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा, मतदाताओं को निर्णय लेने में आसानी होगी। राजनीतिक दल ने चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों को कितना निभाया है? सत्ता में बैठे राजनेताओं के लिए यह विचार करना भी महत्वपूर्ण है कि प्रशासन और शासन में बार-बार चुनावों के कारण होने वाली कठिनाइयों या व्यवधानों को कैसे दूर किया जाए। हर पांच साल के बाद चुनाव कराने से सभी राजनीतिक दलों, चुनाव आयोग और आम जनता को फायदा होता है। नागरिकों और अर्धसैनिक बलो के पास तैयारी के लिए अधिक समय होगा और नए चुनाव सुधार संभव हो सकेंगे।

संदर्भ और ग्रंथ सूची –

1उइके, सीमा. पाठक भावना, हाशमी जुबेर, श्रीवास्तव शलभ (2017) । एक राष्ट्र-एक चुनाव का दायरा लोगों की धारणा पर एक फीड फॉरवर्ड अध्ययन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च (आईजेएसआर) आईएसएसएन: 2319-7064 इंडेक्स कॉपरनिकस वैल्यू (2016) 79.57 इम्पैक्ट फैक्टर (2017) 7.296

2 देबरॉय बिबेक, और देसाई किशोर, (2015) एक साथ चुनाव का विश्लेषण "क्या", "क्यों" और "कैसे" एक चर्चा पत्र। पेज नंबर 4,

3 Ibid, पृष्ठ संख्या 4, 5

4 चहल, डीजेएस। कर्नल (24 जून 2019) एक राष्ट्र-एक चुनाव पर बहस पेज नंबर 2
https://olivegreens.co.in/easyblog/the-debate-on-one-nation-one-election

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 6, June- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

5 एस छोकर, जगदीप. एक साथ चुनाव संसदीय लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार द हिंदू सेंटर पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी इश्यू ब्रीफ नंबर 8 पेज 9, 10 https://www.thehinducentre.com/publications/issue-brief/simultaneous-elections-striking-at-the-roots-of-parliamentary-democracy/article64935973.ece

6 मिश्रा, कार्तिकेय. (4 मई 2020) एक साथ चुनाव- भारत के लिए एक वरदान पेज संख्या 16 https://wwwblog.ipleaders.in/simultaneous-elections-boon-india/

7 सुमित. हवालादार, शिखर सम्मेलन. एक साथ चुनाव: लोकतांत्रिक आपदा के लिए एक निश्चित नुस्खा पृष्ठ संख्या, 3 https://ir.nbu.ac.in/bitstream/123456789/3779/1/Vol.%2013_March-October%202017_12.pdf

8 देसाई, किशोर. (एक राष्ट्र-एक चुनाव) एक साथ चुनाव के "क्या", "क्यों" और "कैसे" पर संक्षिप्त टिप्पणी। पेज नंबर 11. पूर्व ओएसडी - नीति आयोग और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद

9 भारत सरकार विधि आयोग भारत मसौदा रिपोर्ट एक साथ चुनाव 30 अगस्त 2018 पृष्ठ संख्या 37- 42 https://www.taxguru.in/corporate-law/draft-law-commission-report-simultaneous-elections.html

10 Opcit नंबर 3- पेज नंबर 11, और 13

11 राजा, विद्या. (मई, 28 2018) एक राष्ट्र-एक चुनाव: क्या एक साथ मतदान भारत के लिए अच्छा या बुरा विचार है? https://www.thebetterindia.com/143182/one-nation-one-election-simultaneous-polls-good-or-bad/

12 पाल, संकल्पिता. (2020) एक राष्ट्र-एक चुनाव: क्यों? और क्यों नहीं? From https://www.latestlaws.com/articles/one-nation-one-election-why-and-why-not/

13 यादव, अंकिता. एक राष्ट्र-एक चुनाव पर निबंध from https://www.essaybanyan.com/essay/essay-on-one-nation-one-election/

14 हेगड़े, विनायक. 2018 एक राष्ट्र-एक चुनाव: क्या एक साथ मतदान भारत के लिए अच्छा या बुरा विचार है? (2018, 28 मई)। बेहतर भारत, https://www.thebetterindia.com/143182/one-nation-one-election-simultaneous-polls-good-or-bad/

15 सिंह, डॉ. विक्रमजीत. एक राष्ट्र-एक चुनाव दृष्टिकोण के राजनीतिक आयाम © 2018 JETIR अगस्त 2018, खंड 5, अंक 8 (ISSN-2349-5162) www.jetir.org/papers/JETIR1808981.pdf

16 राहिल, (2018), एक राष्ट्र-एक चुनाव - अवधारणा, खूबियाँ और चुनौतियाँ। from https://www.theindianwire.com/politics/one-nation-one-election-concept-merits-challenges-71966/